Annual Report of Central Board for Prevention and Control of Water Pollution, New Delhi for 1982-83

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT (SHRI DIGVIJAY SINH) : I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Board for the prevention and Control of Water Pollution, New Delhi, for the year 1982-83, under sub-section (1) of section 39 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

[Placed in Library. See No. LT—8029/84].

12.22 Hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Seventy-Second Report

SHRI G. LAKSHMANAN (Madras North) : I beg to present the Seventy-second Report (Hindi and English versions) of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

Hundred and Eighty-Fourth Report and Hundred and Eighty-Sixth Report on Action Taken

SHRI SUNIL MAITRA (Calcutta North East) : I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee :—

(1) Hundred and Eighty-fourth Report on Action Taken by Government on the recommendations contained in the Hundred and Forty-second Report of the Committee on Receipts of Union Territory of Delhi—Sales Tax—Falsification of documents by a dealer.

(2) Hundred and Eighty-sixth Report on Action Taken by Government on recommendations contained in the Hundred and Fifty-fifth Report of the Committee on Customs Receipts Non-levy of Customs Duty on confiscated for released on redemption fine.

PROF. SAIFUDDIN SOZ (Baramulla) : Sir, Mr. Chakraborty is wrong. The Supreme Court has accepted the supremacy of Parliament in 1964 and gave a ruling. I want Prof Chakraborty to read it.

अध्यक्ष महोदय : आप को भी सुनेंगे और जब मीटिंग होगी, तो आप को भी बुलाऊंगा ।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Calcutta South) : In 1973, the Supreme Court has given a different ruling...

*(Interruptions)***

MR. SPEAKER : No further discussion will be allowed on this.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Sir, this is a very important point.

MR. SPEAKER : Please sit down. There is no discussion. I have not allowed any discussion.

श्री मनीराम बागड़ी : (हिसार) आप ने एक सांप छोड़ दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नहीं छोड़ा ।

श्री मनीराम बागड़ी : किसी को इजाजत दे दी और किसी को नहीं दी ।

अध्यक्ष महोदय : किसी को नहीं दी । इस पर डिस्कशन की इजाजत किसी को नहीं दी ।

श्री मनीराम बागड़ी : फिर डिस्कशन किस को कहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जोर-जबर्दस्ती, कोई डिस्कशन कहता है, तो वह दूसरी बात है ।

श्री मनीराम बागडी : मैंने एजोर्नमेंट मौशन दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : स्टेटमेंट आ रहा है । ...(व्यवधान)... आप नोटिस दे दीजिए ।

...(व्यवधान)...

12.25 hrs.

CALLING-ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported Sale of adulterated foodstuffs and spices in Delhi and Chandigarh

MR. SPEAKER : Now, Calling Attention. Shri Harish Rawat.

** Not recorded.

SHRI HARISH RAWAT (Almora) : Sir, I call the attention of the Minister of Health and Family Welfare to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

> "The reported sale of adulterated foodstuffs and spices in Delhi and Chandigarh and action taken by the Government in the matter."

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND) :

MR SPEAKER, SIR,

The provisions of the prevention of Food Adulteration Act and the rules thereunder are administered by the State Governments and the Union Territories. The Central Government lays down food standards and advises the State Governments and the Union Territories in the effective implementation of the P. F. A. Act and the Rules.

2. The States have been asked to establish separate food cells with technically qualified and experienced personnel and also set up fully equipped laboratories manned by well trained and competent staff. Seven States and one Union Territory have already established separate food cells. There are 70 food laboratories functioning in the country in the States and U. Ts., besides four Central Laboratories. The Central Government has assisted the States and U. Ts. in equipping these laboratories, and has provided training to different functionaries engaged in the implementation of the food laws.

3. During 1982, 1,29,595 (excluding Bihar and Pondicherry) samples were examined and 16,765 were found adulterated, prosecutions have been launched and during 1981, 4588 ended in conviction. Many cases are still pending. The Central Government have also been emphasising the importance of public education in preventing food adulteration and promoting the quality of food stuffs. Due recognition is being given to consumer organisations with a view to building up public awareness.

4. There have been a number of problems with regard to the implementation of the provisions of the P.F.A. Act and Rules thereunder. There is need to streamline the procedure for sampling, improve the laboratories facilities, including introduction of mobile laboratories, enhance the reliability and validity of the test, shorten the time between sampling and analysis, provide legal cells and plug the loopholes in the effective implementation of the P. F. A. Act and Rules. Suggestions have been received for amending the provisions of the Act and Rules from industry, trade, commerce, user agencies and the Central Committee for Food Standards.

5. In Delhi, prior to 1976 P. F. A. Act was administred by local bodies and thereafter it was brought under Delhi Administration. There are 26 food Inspectors in position. As against the number of samples of 887 tested in 1978, 1930 samples were tested in 1982. 16% of the samples lifted in 1978 and 13.5% of samples lifted in 1982 were found adulterated and action was pursued under the relevant law. A Food Advisory Committee has been constituted under the Chairmanship of the Executive Councillor (Health) in October, 1983. A meeting of the officials of the Delhi Administration and Consumer Organisations was held in the Ministry of Health on 9.9.1983 for the purpose of promoting consumer awareness and effective implementation of the Act.

6. In Chandigarh, an Advisory Committee consisting of officials and non-officials has been constituted. The Administration is also giving due publicity in regard to implementation through newspaper, cinema slides, hand-bills etc.. As against 200 samples collected in 1981, 302 have been collected in 1983 and prosecutions have been launched.

7. Food adulteration is a crime against society. Unscrupulous and anti social elements have been feathering their nests at the cost of the health of the people. They should be dealt with firmly and mercilessly. There is an urgent need for consumer movement. With the active involvement of the people the Government feels that it would be possible to

ensure the maintenance of food standards.

12.29 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में मिलावट के विषय में अपने मंत्रालय की गतिविधियों का जो जिक्र किया है, उससे तो हम सहमत हैं। वास्तव में इस विषय में एक्ट बनाना उनकी सीमा के अन्तर्गत है मगर उसका इन्फोर्समेंट राज्यों के हाथ में है। परन्तु यह बीमारी जिस सीमा तक बढ़ती जा रही है, उसमें आम आदमी इससे अफेक्टेड है। इसको देखते हुए हम लोग इस विषय की गहराई और महत्व को नकार नहीं सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस समय स्थिति यह है कि कोई भी वस्तु बाजार में ऐसी नहीं है जिसमें मिलावट न हो। रीमोट एरियाज में, दूर दराज के रूरल एरियाज में तो कोई भी चीज ऐसी नहीं बिकती जिसमें मिलावट न हो।

पिछले दिनों अहमदाबाद की एक समाज सेवी संस्था ने सर्वेक्षण किया। उसके आधार पर उसने बताया कि मूंगफली के तेल के 90% सेंपल ऐसे थे जिनमें मिलावट पाई गई। दिल्ली में भी हाल में एक सोसायटी द्वारा सेमीनार किया गया। उसमें भी वक्ताओं ने दिल्ली में व्याप्त मिलावट के बारे में बताया। आज छोटे वेंडर्स की बात तो छोड़िए बड़े-बड़े आर्गनाइजेशंस मिलावट में संलग्न हैं। वे अपने विज्ञापनों के द्वारा अपने प्रोडक्ट को पापूलर बनाते हैं। जिस वस्तु का जितना परसेंटेज उसमें बताया जाता है, उतना उसमें नहीं होता। सरकार इस पर कंट्रोल करने में असमर्थ है।

आज बाजार में दाल, तेल, दूध, मिठाई, बीज, काली मिर्च, कोई भी चीज आपको शुद्ध नहीं मिल सकती। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इतने व्यापक पैमाने पर जो मिलावट हो रही है, इसके लिए जो हमारा कानून है, उसमें कहीं कोई लूपोल तो नहीं है जिसके कारण हम इसको रोकने में असमर्थ हैं। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के प्रासीक्यूशन विंग ने आपके मंत्रालय को लिखकर भेजा है कि उनके इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट भेजते है उसको कोर्ट में नहीं माना जाता। वे लोग सेंपल कलेक्ट करते हैं, उसको पब्लिक एनालिस्ट के पास भेजते हैं। वे उसको 45 दिन तक अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद वह सेंपल सेंट्रल लेबारेट्री में आता है। वहां भी उसको 45 दिन तक रखा जा सकता है। इतने समय में सेंपल खराब हो सकता है। इसलिए जैसा कि अखबारों में पढ़ा है कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के प्रासीक्यूशन विंग ने आपके मंत्रालय से मांग की हैं कि एक्ट में ऐसा प्रावीजन किया जाए कि इंस्पेक्टर की रिपोर्ट का कोर्ट में कोई अर्थ हो सके।

दूसरा जो एक्ट है वह अपने आप में अभी पूरा नहीं है। उसमें यदि कुछ सुधार करने की बात की भी गई है, लेकिन उसके बावजूद लेबोरेट्रीज का जो फंशन है वह अपने आप में क्वेश्चनेबल है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक एनेलिस्ट के पास कोई अप्रोच नहीं कर सकता। सेंपल पर पार्टी का नाम लिखा होता है। पार्टी को भी डायरेक्टर से पता चल जाता है कि किसके पास मेरा सेंपल चैक होने के लिए गया है। वह अप्रोच करके वहां से क्लीन चिट ले लेता है कि उसका सेंपल ठीक है।

मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कोई ऐसी अलग से बाडी बनाने के प्रश्न पर वे विचार करेंगे जो बाडी सारे सेंपल्स की चैक करे। दो तरह की व्यवस्था न हो कि पहले पब्लिक एनालिस्ट के पास जाए, उसके बाद सेंटल लेबोरेट्री में जाए।

दोहरी व्यवस्था की बजाय एक ही सेन्ट्रल बाडी होनी चाहिए जो इसको चैक कर सकें। सैम्पल में पार्टी का नाम नहीं होना चाहिए। सिर्फ नम्बर होने चाहिए जिससे वे लोग डायरेक्टोरेट के पास अप्रोच न कर सकें। हमारी जो लॉ की एजेन्सी है, उसकी हाफ-हार्टेड अप्रोच होती है जिसके कारण ज्यादातर गड़बड़ी होती है।

अधिकांश मामले ऐसे होते हैं जबकि एनालाइसिस रिपोर्ट और सेन्ट्रल लेबोरेटरी से रिपोर्ट आ जाने के बाद भी कि इसमें मिलावट है, प्रासीक्युशन नहीं हो पाता। कोर्ट में मामला नहीं जाता और जब जाता है तो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। यह भी देखने में आता है कि काफी लम्बे समय तक कोर्ट में केसेज पेंडिंग रह जाते हैं, जिसकी वजह से उसका असर खत्म हो जाता है इसलिए मिलावट करने वाले को टाइमली पनीशमेंट देना चाहिए। जो हमारी लॉ एन्फोर्सींग एजेन्सी है, उस पर कोई अथारिटी होनी चाहिए। समय निर्धारित होना चाहिए कि सैम्पल कलैक्ट होने के बाद इतने समय तक रिपोर्ट आ जाए और इतने टाइम तक कोर्ट में मुकदमा दाखिल हो जाना चाहिए। उसके बाद उस केस को ठीक से परस्यु किया जाना चाहिए। अभी आपने यह बताया कि दिल्ली के एन्फोर्समेंट विंग में केवल 26 इन्सपैक्टर्स हैं। आप कैसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि केवल 26 इन्सपैक्टरर्स दिल्ली में जितना एडल्टरेशन हो रहा है उसको चैक कर पायेंगे ? जब दिल्ली में यह हालत है तो हमारे जो रूरल एरियाज हैं, वहां क्या स्थिति होगी ? जब केन्द्र में वह स्थिति है तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या हालत होगी ? इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। इन्सपैक्टर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए यूनियन टैरीटरीज और राज्य सरकारों से भी बातचीत होनी चाहिए। बहुधा, प्रोसीक्युशन विंग ही बचा रहता है इसलिए इसमें भी सुधार करने की जरूरत है। इन्फोर्समेंट विंग को ही हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है जबकि प्रोसीक्यूशन विंग को कभी भी नहीं किया जाता। लेबरोटरीज की जांच के आधार पर ही मिलावट करने वाले को सजा मिलती है। लेकिन, वहां पर कोई भी आदमी अप्रोच कर सकता है। मैं पूछना चाहूंगा कि आप इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? ड्रग कंट्रोल एक्ट की तरफ भी माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें संशोधन के बावजूद भी नकली दवाओं को अभी तक नहीं रोका जा सका है।

इस समय भी मार्किट में बहुत बड़ी संख्या में नकली दवाएं चल रही हैं और इनकी आड़ में नाना प्रकार की ऐसी वस्तुएं बिक रही हैं जिन से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कई जगह अल्कोहलिक कंटेंट मेडीसिज के नाम पर आयुर्वेदिक औषधियों के नाम पर कई प्रकार की सुरा, कई प्रकार की लिक्विडज निकली हैं जिन को खाने से लोगों की मौतें तक हो रही हैं और टी बी की बीमारी लोगों में आम हो गई है। इस वास्ते कम से कम ड्रग कंट्रोल एक्ट में सुधार तो होना ही चाहिये ताकि इस तरह की चीजों को रोका जा सके।

इस समय बेबी फूड्ज बिकते हैं। इनके बारे में कई प्रकार की बातें अखबारों में छपती हैं। डब्ल्यू एच ओ ने इसके बारे में कुछ गाइड लाइंज दी हैं। फालो वे क्यों नहीं हो पा रही है ? साथ-साथ लोगों की हमें प्रापरली एजुकेट भी करना चाहिये, मदर्ज को एजुकेट करने की कोशिश करनी चाहिये ताकि बच्चा जो भविष्य का नागरिक है, उसको प्रापर फीड मिल सके। इस समय बड़ी-बड़ी कम्पनियां, मल्टी नेशनल कम्पनियां विज्ञापनों के जरिये हाय तोबा मचाए हुई हैं और लोग समझ रहे हैं कि मां के दूध के बजाय बेबी फूड्ज ज्यादाफायदे मन्द हैं। यह जो भ्रम जो लोगों में फैला हुआ है, जिसके यहां बैठकर हैल्थ मिनिस्ट्री काउंटर नहीं कर पा रही है, उनके इस प्रोपेगंडे को काउंटर करने की कोशिश भी हमें करनी चाहिये।

मैं मानता हूं कि मन्त्री जी की इस मामले में एक सीमा है। लेकिन इस सीमा में रहते हुए भी जवाबदेही पार्लियामेंट के प्रति उनकी है। ऐसे मामले होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानीकारक है तो निश्चित रूप से लोगों की नजरें स्वास्थ्य मन्त्रालय की तरफ जाती हैं। यह कह कर मामले में टाला नहीं जा सकता है कि एनफोर्समेंट राज्यों का मामला है, लॉ एनफो-

सिंग एजंसीज उनकी है। उनके ऊपर हमें इतना दबाव डालना पड़ेगा ताकि फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत प्रापरली वे काम कर सकें। साथ-साथ राज्यों के जरिये और ला एनफोर्सिंग एजंसीज के जरिये जो एक्ट में कमियां नजर आई हैं उनको दूर करने की भी कोशिश आपको करनी चाहिये।

SHRI B. SHANKARANAND : Mr. Deputy-Speaker, Sir, before replying to the queries made by the hon. Member about the foods standards etc., I would like to point out that he has also referred to the question of spurious drugs, Drug Control Act, baby foods etc., which I do not think, is the subject matter of the Calling Attention today.

SHRI HARISH RAWAT : But you are very much concerned with it.

SHRI B. SHANKARANAND : Yes, they do concern the Health Ministry and to that extent, they are relevant.

(Interruptions)

MR DEPUTY-SPEAKER : Hon. Members Mohan and Sathiyendran, please do not cross the floor between the Chair and a Member or a Minister, when he is speaking.

SHRI B. SHANKARANAND : With regard to the main question of food adulteration, there is no denying the fact that unscrupulous people, people who want to make easy money, are doing all that they can do by indulging anti-social activities and spinning money at the cost of the people. Adulteration takes place right from the source of production till it is finally distributed to the people. Adulteration takes place at the stage of storage, at the stage of distribution, and at the stage of final sale at the outlets. It is really a problem, and the House has voiced its feelings on many occasions in the last four years. The hon. Member has referred to many difficulties regarding legal difficulties, proper facilities at food laboratories, and finally to a very vital and very important element, viz. the honesty of the persons involved in these matters. Whatever facilities are provided for checking adulteration of food, unless one is honest, the machine alone will not solve the problem; law alone will not solve the problem.

That is why, in my main statement, I have said that without the involvement of the people and their active cooperation, Government alone cannot solve the problem of this menace to the society. I have also observed that consumer movement and mass education in this country will necessarily, ultimately help to bring down food adulteration.

The hon. Member has said that only 26 Inspectors are there. I have said that 26 Inspectors are in position. The sanctioned strength for Delhi is 50; 26 are in position, including six who are in training, because without trained personnel, we will not be able to solve the problem of shifting the samples in a proper way, and thus further the enforcement of the provisions of the concerned Act.

In the absence of any supervisory staff, Inspectors alone have not been able to do their job properly. So, these posts of supervisors, called the local health authorities or assistant local health authorities are to be filled in; and that process is in operation, because they are to be filled in through UPSC. When the raiding parties are sent to various parts of the city, necessarily it is presumed that there should be some supervisory staff also along with them. And that has been the main handicap in real enforcement in this regard. No doubt, Delhi Administration has appointed certain people as local authorities—two doctors, sub-divisional officers and other officers as supervising authorities till the regualr posts are filled in through UPSC.

As has been pointed out by the hon. Member, there have been suggestions for amending Act, and the rules thereunder. Various dificiencies have been brought to the notice of the Government, and they do deserve consideration. I should say that looking to the fact of the number of samples lifted since 1980, till now, and the number of cases where prosecution has been launched, things are improving, but not in the way or in the manner we expect them to do.

About food laboratories, there was a definite scheme for helping the State Governments to improve their food laboratories; and the Central Government had sanctioned funds to the States for constructing them, and equipping them to the extent of about

Rs. 18 lakhs per State for etablishing such laboratories, and about Rs. 3 lakhs for equipment. As I have said, about seven States have already eatablished the necessary food laboratories, and fully equipped them ; and others are in the process of doing so. There is necessity for establishing independent food cells, legal cells, enforcement cells, and other coordinating efforts so that we approach this problem in a coordinated way, so that the offenders are brought to book. No doubt, as one hon. member has stated, there has been some delay in the cases which are pending in the court for various reasons, we have not been able to get conviction as we expect also because of various reasons. For this, as I have already stated, there is a law, as has been suggested by many people, trade, industry, food standard committee, and others; this provision of law or the PAF Act or the rules are to be reviewed. I can only say that government is not unaware of the fact of the danger that these people are posing to the society in their way of making easy money by indulging in such anti-social activities. The only way to solve this problem is to have full participation and cooperation of the people, consumer movement in this country in a big way and making the people aware of these dangers and activities which are done by these anti-social elements at the cost of the health of the people. In this regard, I need the cooperation of the people and also say that we have written letters to the State Governments asking them to make use of these facilities and improve their laboratories and also employ and fill in the necessary posts for the inspection, supervision and prosecution, as the case may be.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर इस सदन में बहुत बार चर्चा हो चुकी है। चर्चा होने के बाद हमेशा ही सरकार की तरफ से यह आश्वासन मिलता रहा है कि इस व्यवस्था में सुधार किया जाएगा और अपराध करने वाले लोगों को दंड दिया जाएगा और कानून और कठोर बनाया जाएगा। यह आश्वासन हमेशा ही मिलता रहा है। लेकिन बार-बार इस आश्वासन के दोहराये जाने से समस्या का समाधान नहीं होता।

अभी मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है : "खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के कार्यान्वयन में अनेक समस्यायें पेश आई हैं। नमूने भरने सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने, प्रयोगशाला सुविधाओं में सुधार करने तथा गश्ती-प्रयोगशालाएं शुरू करने, जांच की विश्वसनीयता और विधि-मान्यता को बढ़ाने, नमूने भरने और उनका विश्लेषण करने की बीच की अवधि को कम करने और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और नियमों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए अपराधियों के बचने के रास्तों को बन्द करने हेतु कानूनी सैलों की व्यवस्था करने की जरूरत है।"

तो मेरा पहला प्रश्न तो यह होगा जिन समस्याओं के बारे में माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में यहां कहा है उन समस्याओं के समाधान के लिए वह कब तक और क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि बजाय इसके कि हम कोई दूसरा डिस्कशन इसी विषय पर 2 महीने बाद फिर लायें, अगर यह पार्लियामेंट बच गई मई और जून में डिजोल्यूशन की जैसी बात चल रही है उससे, और अगला सेशन कहीं आया तो फिर हो सकता है कि यह मामला हम लोग फिर लायें। तो बार-बार हम लाते रहें और मन्त्री जी आश्वासन देते रहें···

MR. DEPUTY-SPEAKER : If it is again discussed somehow, you get a chance. He is always getting a chance in the calling attention. He is a very luck hon. member.

श्री हरिकेश बहादुर : इसलिये मान्यवर, हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इन समस्याओं के समाधान के लिये कारगर कदम उठाये जायें, और यह समस्यायें जिनके कारण अपराधियों को दंड मिलने में दिक्कत हो रही है उनको दूर किया जा सके।

2 मार्च, 1984 का "इण्डियन एक्सप्रेस" मेरे पास है जिसमें एक प्रकार का समाचार निकला था और उस समाचार के आधार पर प्रश्न भी पूछा गया था दूसरे सदन में, उसकी एक कोपी मेरे पास है।···

जिससे साफ जाहिर है कि दिल्ली में इस प्रकार की तमाम मिलावटें हो रही हैं। इसी सम्बन्ध में हिन्दुस्तान टाइम्स ने अपने 23 जनवरी, 1984 के अंक में लिखा है कि—

"Menace of food adulteration : The recent seizure by the police of spurious consumer goods such as tooth paste, washing soap cakes and face cream worth lakhs of rupees from an Old Delhi shopping complex amply prove the point."

दिल्ली के अन्दर तो इन सब चीजों में मिलावट शुरू हो गई है, वैसे देश के विभिन्न भागों में दवाओं में जिस तरह से मिलावट होती है, जैसी कि माननीय सदस्य ने कहा कि बेबी-फूड, मक्खन, घी, आइस-क्रीम, खाने के तेल, चाय, काफी, मसाले, फूड-प्रोडक्ट्स वगैरह सब चीजों में मिलावट ही दिखाई देती है। दिल्ली में ये सब चीजें पकड़ी गई हैं।

मदर-डेरी के दूध में मिलावट के सम्बन्ध में पैट्रीयाट में समाचार छपा था जिसके बारे में माननीय मन्त्री जी ने दूसरे सदन में बताया था कि इसमें सिर्फ पानी की मिलावट का मामला समझ में आया है। दूध में पानी की मिलावट तो सारे देश में हो रही है। मैं कह रहा था कि मसालों में मिलावट होती है। काली मिर्च में पपीते के बीज, खाने के तेल में सत्यानाशी का बीज मिलाने के बारे में हमने यहां पर विस्तार से चर्चा की थी और कहा था कि इससे कितने लोगों की मौत हो गई है।

स्टेट्समैन में 15 दिसम्बर, 1980 को एक आर्टिकल निकला था—

"Health Hazards from adulterated oils."

मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि वह इस पर ध्यान दें। इसमें लम्बे एनेलिसेज के बाद सारी चीजें दी गई हैं जिनको विशेषज्ञ देखें और उसके हिसाब से ठीक करने की दिशा में कदम उठायें।

मैं हिन्दुस्तान टाइम्स के 23 जनवरी के अखबार में से फिर कोट करना चाहता हूं—

"*Menace of food adulteration* : The Administration officials openly admit that keeping in view the vastness of the Union Territory and also the magnitude of the problem, it had not been possible for them to create an impact by booking unscrupulous and anti-social elements indulging in this crime. The net result has been that the problem had been getting aggravated beyond administrative control.

अगर यह बात सही है कि

the problem is getting aggravated beyond administrative control.

तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्या माननीय मन्त्री जी इस बात से सहमत हैं कि समस्या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल में नहीं रह गई है यानी की सरकार के नियंत्रण के बाहर है और सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है? आगे इसमें कहा गया है—

As I have already stated, well organised racketeers are virtually playing havoc with the human lives by making them eat stones, leaves charcoal mixed with food articles. Life saving drugs are openly being manufactured under false Trade Marks."

मेरे पास हिन्दू अखबार है मद्रास का। यह अपने 26 जनवरी, 1984 के एडिटोरियल में लिखता है—

The survey finds that the low priced palmolein is freely used for adulterating the high priced groundnut oil by the sellers to make a quick rupee at the expense of the buyer. What is more surprising is that, under the tests prescribed in the Prevention of Food Adulteration Act, the presence of palmolein cannot be detected even if its proportion is what is passed off as groundnut oil is as high as 40 per cent.

यह कितनी खतरनाक बात है कि मूंगफली के तेल में फारमोलिन मिलाया जा रहा है और उसका डिटैक्शन ही मुश्किल है जब तक कि वह 40 फीसदी के स्तर तक न पहुंच जाये।

13.00 hrs.

इस तरह से सारे देश के लोगों को जहर खिलाया जा रहा है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये सारी बातें सरकार के ध्यान में आई हैं; यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है।

बटर में एनीमल टेलो की मिलावट के बारे में अनस्टार्ड क्वेस्चन 923 के जवाब में इस सदन में 1 मार्च, 1984 को कहा गया था ...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Under what category does this animal tallow come?

SHRI HARIKESH BAHADUR : This comes in the category of adulteration. Animal tallow is being adulterated in butter.

इस बारे में इस सदन में काफी चर्चा हुई है और सरकार ने देश की जनता को तरह-तरह की बातों द्वारा गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन आज तक इसका सही समाधान नहीं निकाला है।

दूसरे सदन में मन्त्री महोदय ने बताया कि एडल्ट्रेशन के लिए 1980 में 17,041, 1981 में 16,400 और 1987 में 15,007 लोगों के खिलाफ प्रासीक्यूशन लांच किए गए। लेकिन कितने लोगों को सजा मिली ? होता यह है कि अपराधी हमेशा छूट जाते हैं और ये अपराध तेजी से बढ़ते जाते हैं। जब तक सम्बद्ध कानून में व्यापक संशोधन नहीं किए जाएंगे और सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स पर डालने की कोशिश की जाएगी, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए केन्द्रीय सरकार स्वयं इस मामले में दिलचस्पी ले और प्रभावशाली कदम उठाए।

प्राय: देखा जाता है कि गांवों में मिठाई बनाने वाले जैसे छोटे-छोटे लोगों के खिलाफ तो कार्यवाही की जाती है, लेकिन ग्लूकोस और दूसरी दवाओं में मिलावट करने वाले बड़े-बड़े रेकेटियर्ज के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। सरकारी अधिकारी छोटे-२ लोगों को परेशान करते हैं। इस विभाग में जो बहुत अधिक घूसखोरी होती है, उसको भी रोकने का प्रबन्ध करना चाहिए। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पैसा लेकर एडल्ट्रेशन करने वाले लोगों को छोड़ दिया जाता है और बड़े-बड़े प्रभावशाली लोगों का अपराधियों को संरक्षण मिलता है। बहुत से जहरीले पदार्थ रंगों के रूप में खाने-पीने की चीजों में मिलाए जाते हैं। सरकार को उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के पास इच्छा-शक्ति, बिल-पावर, का अभाव है, वर्ना इस समस्या का समाधान हो जाता। सरकार अपनी कमजोर इच्छा-शक्ति के कारण कमजोर कानूनों में कोई परिवर्तन नहीं कर पा रही है। मैं चाहता हूं कि एडल्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार लोगों को स्पेशल कोर्ट बनाकर ट्राई किया जाए और उनको मृत्यु-दण्ड की सजा दी जाए। इससे कम सजा के द्वारा इस अपराध को रोका नहीं जा सकता। क्या मन्त्री महोदय इस दिशा में कोई कार्यवाही करेंगे ?

SHRI B. SHANKARANAND : Sir, the hon. Member, while describing and giving account of cases of adulteration, the nature of adulteration and what not, said that the situation has gone out of the control of the Government which I should say is not only an exaggeration but something which is not true. Nothing has gone out of the control of the Government and the Government has the necessary will, competency and capability to deal with these anti-social elements.

The hon. Member has simply narrated the things that appeared in various Press reports but finally asked only one question whether the Government is going to do anything to deal with these. I should say... (*Interruptions*)

SHRI HARIKESH BAHADUR : Special courts also.

SHRI B. SHANKARANAND : There have been suggestions for establishment of special courts also. There are about 67 laboratories in this country besides the four Central laboratories. There has been a suggestion for establishing legal cells in each State to deal with these matters. Many States have appointed Advisory Committees for these matters and the Advisory Committees of these States are functioning quite all right.

As I have already said, even under the

Fifth Five Year Plan there is a scheme of financial assistance to the States for establishment of laboratories and financial assistance to the tune of Rs. 18.68 lakhs each for construction of combined building for food and drugs laboratory, in addition to an extra grant of Rs. 66 lakhs for equipment. An additional grant was also sanctioned to some States for the establishment of such laboratories and also from Rs. one lakh to Rs. 1.5 lakh to each of these laboratories for purchasing new equipment for their laboratories.

We know that unless we have the trained personnel by way of Inspectors, local health authorities and other supervisory staff, we will not be able to make best use of these laboratories. So, we have created training facilities in the Central laboratories for the staff.

We have also sanctioned about Rs. 65,000 out of the WHO Fund for educational activities for the purpose of a documentary film in order to educate the people against the evils of food adulteration. The documentary film entitled "Hidden Enemy" on the food and drugs has been produced by the Central Health Education Bureau and the film has been seen by my colleague, the Deputy Minister. She has made certain suggestions andthose suggestions being implemented at the moment.

Constant meetings are held by my colleague, the Deputy Minister with various organisations including the Mother Dairy and I should say that there has not been any adulteration at source in Mother Dairy. Maybe some cases are found at the retail outlets but those cases cannot be attributed to the Mother Dairy.

As I said, this is a matter of education. Unless we educate the people and start consumer movement in this country, the efforts of Government alone will not bring that much success as we wish.

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : आप हंसिएगा नहीं। कम से कम आप कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी की कदर करिएगा। बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। आप हंसते हैं तो महत्व को कम करते हैं। इसलिए गंभीरता से सुनिए।

देश के 70 करोड़ लोगों को खाना, दवाई और जीवन की जो जरूरी चीजें हैं, उन में अगर जहर मिले और उस जहर को रोकने में सरकार असमर्थ हो, चाहे कारण कुछ भी हो, तो वह समाज रद्दी है जो ऐसी गन्दी सरकार को बर्दाश्त करता है। 70 करोड़ आदमियों के लिए कितनी लेबार्टरीज हैं जांच करने के लिए और कितने नमूने भरे गए हैं ? बुनियादी तौर पर तो यह बात निकम्मी, पाजी और घटिया दिमाग की उपज है। पांच नमूने ही क्यों भरे गए ? जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, जिनके नमूने भरने चाहिए, सभी के नमूने क्यो नहीं भरे गए ? यह बेईमानी और यह मिलावट गंगोत्री और यमुनोत्री से चलती है छोटे-छोटे गिलासों से नहीं। आखिर यह चीजें बनती कहां हैं ? कहां तेल बनता है, कहां चीनी बनती है, कहां शराब बनती है और कहां मसाले पिसते हैं ? नारियल के तेल की शीशी पर लेबल लगा होता है "शुद्ध नारियल का तेल" और नीचे बहुत ही महीन अक्षरों में लिखा रहता है कि यह खाने के काबिल नहीं है, इसको खाने में उपयोग न किया जाए। वह इतने महीन अक्षरों में लिखा रहता है जिसको मैं और कमलापति जी जैसे बड़ी उम्र के लोग पढ़ ही नहीं सकते हैं। यही बात शराब और सिनरेट के पैकेट पर भी लिखी रहती है।

हमारे यहां हरियाणा में सौ आदमी सरकारी ठेके की शराब पीकर मर गए। आपने अक्सर यह भी पढ़ा होगा कि जिस स्कूल में सरकार भोजन देती है, वहां पर भी सैकड़ों बच्चे भोजन खाकर बीमार पड़ गए। इस प्रकार के मामलों में सजा का उतना महत्व नहीं है। सजा देना तो एक मामूली बात है। डकैती क्यों पड़ी असली सवाल यह होता है। डकैत को आपने पकड़ लिया इसका उतना महत्व नहीं है। अच्छा समाज वही है जिसमें क्राइम्स न हों। मुजरिम को पकड़ लेना दूसरी बात है। असल सवाल यही है कि क्राइम होता क्यों है।

सौ में से 70 लोग जो मिलावट से प्रभावित हैं वे वही हैं जो कि झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं। सौ में 40 वे है जोकि गांवों में रहने वाले हैं।

सौ में जो सफेदपोश हैं वह 10-12 ही हैं लेकिन बचे हुए वे भी नहीं हैं। किसी न किसी रूप में वे भी मिलावट से प्रभावित होते हैं। कुमारी कुमुदबन जोशी ने मिलावट के बारे में आंकड़े दिए हैं, आप कहें तो मैं पढ़कर बता दूं कि घी, दूध, मक्खन, आटा और तेलों में कितनी मिलावट है। स्वास्थ्य मन्त्री जो बुद्धिमान हैं, वे मिलावट को जानते हैं लेकिन घर मन्त्री कितने सुस्त हैं कि मिलावट करने वालों को पकड़ नहीं रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मानता कि सजा देने से ही मिलावट समाप्त हो जायेगी। सवाल यह है कि समाज का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है।

आप इस बात को समझ लीजिए, यह बहुत खतरनाक बात है। आप पूंजीवाद मुल्क की व्यवस्था को ले लीजिए, आप साम्यवाद और समाजवाद जनतन्त्र को ले लीजिए, किसी मुल्क में खाने-पाने में मिलावट नहीं मिलेगी। हमारे साथ आपके एक मंत्री अमरीका में थे, कहने लगे कि दवाइयां यहां से ले जायेंगे क्योंकि यहां पर मिलावट नहीं है। रूस से ले जायेंगे, क्योंकि मिलावट नहीं है। सिद्धान्तों में फर्क हो सकता है, लेकिन खान-पान में जहर के सौदागरों के साथ रियायत नहीं होनी चाहिए। आप कहते हैं कि 1600-1700 नमूने भर लिए—यह बात बेबुनियाद सी प्रतीत होती है। आपने क्यों 1600 भरे, सब क्यों नहीं भरे। आपने चंडीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेश की एक मसाला बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा है। कमलापति जी पूजा करके सोचते हैं कि शुद्ध हो गए और गंगाजल पीते हैं, लेकिन शायद उनको पता नहीं है मसालों में गधे की लीद मिलाई जाती है। इस प्रकार से उनकी शुद्धताई कहां तक रह जाती है। ऐसी ऐसी दालें हैं, जिन पर पाबन्दी लगा दी गई है, फिर इन दालों को मध्य प्रदेश में खिलाया गया है। वहां बीमारी फैल रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसी प्रकार बंगाल में जहां प्रोग्रेसिव सरकार है, वहां पर तेल को खा करके लोग पंगू और आंखों से अन्धे हो गए हैं। लकुवा मार गया है, जिस प्रकार से इस सरकार को लकुवा मारा हुआ है।

मैं आपके सामने तीन-चार बातें रखना चाहता हूं। पहली यह कि जिस प्रकार फैमिली प्लानिंग का हफ्ता मनाते हैं, मंत्रियों के उद्घाटन का और आने वाले नेताओं का प्रदर्शन करते हैं, उसी प्रकार देशव्यापी स्तर पर किस प्रकार से मसालो खाद्य पदार्थों को शुद्ध रखा जाए, इसका हफ्ता मनाना चाहिए। यह आपने अभी तक नहीं मनाया है। जीवन एक धर्म है, इन धर्मों को कायम रखने का आपने कभी हफ्ता मनाया है—नहीं। स्वास्थ्य के लिए कुछ हट्टे-कट्टे आ गए होंगे, बहन जी जैसे और हफ्ता हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे देश के अन्दर लोगों के अन्दर पहुंच कर आपको मनाना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे सुन्दर चेहरे देखने से। हर भारत वासी को खुशी होती है।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: This is not allowed.

श्री मनीराम बागड़ी: अपनी बहन-बेटियों के सुन्दर चेहरे देखने से खुशी नहीं होती है। मुझे तो तुम्हारा चेहरा देखने से भी खुशी होती है, लेकिन तुम्हारे में से काला डंक निकलता है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ काम करना चाहिए। यह ठीक है कि आपके बस की बात नहीं है। ईमानदारी से यदि आप इस काम को करें, चुनाव का झंझट छोड़ दें, कमलापति जी पार्टी का संगठन छोड़कर स्वास्थ्य संगठन बनाएं, तब कुछ काम हो सकता है। गांधी जी, डा० लोहिया, विनोबा भावे, जयप्रकाश जी ने कुछ काम समाज में किया है। ऐसा रास्ता लोगों को अपनाना चाहिए। खैर, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप देशव्यापी हफ्ता मनायें। दूसरे—आप चैकिंग इन्स्पैक्टर की तादाद को बढ़ायें। एक करोड़ पर एक इन्स्पैक्टर है, इससे काम नहीं होगा। इन इन्स्पैक्टरों की छोटी तनख्वाह है, लेकिन इनकी आमदनी बड़ी है। अगर इनकम टैक्स वाले गलती से इनके यहां रेड कर दें तो मंत्रियों से भी ज्यादा इनके पास मिलेगा। बन्धे हुए हैं, घरों पर दे जाते हैं अपने आप। हर दुकानदार से

बन्धा हुआ है। सीधा आता है। किसी रहीस की बीवी के पास इतने सुन्दर कपड़े नहीं होंगे जितने कि इनकी बीवियों के पास मिलेंगे।

कारपोरेशन में जो अधिकारी इस काम के लिए होते हैं, उन के पैसे बंधे हुए हैं, अपने आप पैसे उन के पास पहुंच जाते हैं, सारे देश में इस तरह का माध्यम बन चुका है, किसी तरीके से इस को रोकिये।

चौथी बात—आप ने इस के प्रचार के लिए 65 हजार या 66 हजार रु० मंजूर किये हैं। कोई फिल्म बनाई है या बनाने के लिये रुपया मंजूर किया है। कितना रुपया मंजूर किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : फिल्म बनाई है।

श्री मनीराम बागड़ी : कितने रुपये में ?

कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी : यह पता नहीं है।

श्री मनीराम बागड़ी : इतने रुपयों में तो एक अच्छी तस्वीर भी नहीं बनती है। यह तमाचा है—हिन्दुस्तान के लोगों पर, आप उन को पेट भर रोटी भी नहीं दे सकते, वे भूखे और नंगे लोग जिन को आधा टुकड़ा रोटी का मिलता है तो वह भी मिलावट का और सड़ा हुआ है, यह उन लोगों के साथ मजाक है। फिल्म बनाने के लिए एक लाख या उस से कम रुपया खर्च कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एशियाड गेम्ज पर दो हजार करोड़ रुपया खर्च कर दिया। आप को शर्म महसूस नहीं होती है ? हिन्दुस्तान के लोगों की जिन्दगी से जो मौत के व्यापारी खेल खेलते हैं उनको पकड़ने के लिये, उनकी जिन्दगी को बचाने के लिए आप के पास पैसा नहीं है। ये घर मंत्री बैठे हैं, बम और पिस्तौल वाले आप के काबू से बाहर हैं, उन से आप को भी डर लगता है, मुझ को भी डर लगता है, लेकिन इन लोगों के पास तो बम-पिस्तौल नहीं है, इन के पास चांदी की गोली हो सकती है, उन से आप क्यों डरते हैं ? इन कारखानेदारों को पकड़ो, गंगोत्री और जमनोत्री पर हाथ डालो। मैं यह नहीं कहता कि दवन्नी वालों को छोड़ दो, लेकिन सिर्फ दवन्नी वाले को पकड़ लो और दो करोड़ वाले को छोड़ दो, यह नहीं चलेगा। गांधी जी कहते थे—चमार की चवन्नी पकड़ी जाती और पंडित का करोड़ों का डाका बच जाता है, हम चमार की चवन्नी बक्शवाना चाहते, लेकिन करोड़ वाला भी नहीं बक्शा जाय।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप ने पंडित का नाम क्यों लिया ?

श्री मनीराम बागड़ी : कमलापति जी बैठे हैं, इसलिये।

मैं चार बातें रख रहा हूं—हिन्दुस्तान के अन्दर एक लाख की आबादी पर एक इंस्पैक्टर होना चाहिये और दस लाख की आबादी के ऊपर एक लेबोरेट्री होनी चाहिए। क्या आप हर कारखाने की जांच और हर दुकान का सैम्पिल भरने की क्षमता वाला महकमा बनाने के लिए तैयार हैं ?

दो—जन-जागरण के वास्ते क्या आप देश-व्यापी सप्ताह मनाने के लिए तैयार हैं ?

तीन—आप के जितने इंस्पेक्टर हैं—क्या इन्कम टैक्स के महकमे के माध्यम से उनकी सम्पत्ति की जांच करवायेंगे ?

चार—ऐसे फैक्टरी वाले जो खाद्य-पदार्थ बनाते हैं उन के उद्घाटनों में आप नहीं जायेंगे ?

SHRI B. SHANKARANAND : The hon. Member, while making observations on the activities of these anti social elements proposed certain actions to be taken by the Government. He himself adulterated his thoughts which never remained pure in their approach because he politicalised these in criticising the Government. You are equally responsible for this sort of activities. I said, Government alone will not solve this problem without the involvement of the people's representatives.

श्री मनीराम बागड़ी : मैं निन्दा गवर्नमेंट की नहीं करूंगा तो क्या नत्थू नाई की करूंगा।

इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदारा है, मैं जिम्मेवार नहीं हूं ।

SHRI B. SHANKARANAND : Government will take all the necessary steps at their command to suppress, to contain and to punish those people who are making money at the cost of the society. We will punish them also.

SHRI MANI RAM BAGRI : What do you mean by punishment ?

इस्तीफा दे दो, अगर तुम यह मानते हो कि गवर्नमेंट इस को करने में सक्षम नहीं है । यदि किसी सरकार का कोई मंत्री यह कहने की हिम्मत रखता है कि हम इस अन्याय को नहीं रोक सकते, तो मैं यह कहूंगा कि वह मंत्री एक क्षण के लिए भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है ।

(व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER : Let him reply. Then, finally if you want any clarifications, you can ask.

SHRI B. SHANKARANAND : Your importance of suggesting certain action loses its reality when you politicalise the matter.

MR. DEPUTY SPEAKER : He has made very good suggestions.

SHRI B. SHANKARANAND : No doubt, he has made very good suggestions. I am giving him credit. But he coloured those suggestions with his political thinking and therefore the importance is lost.

श्री मनीराम बागड़ी : यह सब पालिटीकल नहीं है तो क्या है हुकूमत राजनीति के बगैर कैसे चलेगी । राजनीति क्या कोई पाप है या कोई जुर्म है । राजनीति से सारे काम चलने वाले हैं ।

SHRI B. SHANKARANAND : The people of this country have judged our performance and they have brought us back to power because of your failures and our ability to perform. You must not forget this. (*Interruptions.*)

I respect your suggestions.

MR. DEPUTY SPEAKER : He has made 4 or 5 valuable suggestions.

SHRI B. SHANKARANAND : He has referred to Jamunotri and Gangotri which is not entirely true because adulteration takes place not only at the source of production but also at the storage point, at the transport point, at the retail outlet point etc. Let him not forget that. So, adulteration has to be tackled at various points.

No doubt, the inspectorate is to be strengthened, the laboratories are to be strengthened and necessary trained personnel and the necessary and essential equipments are to be provided. We are taking steps and we have given the figures as to how many laboratories in this country are functioning and the schemes we have initiated to assist the States to establish their own laboratories and also to strengthen their inspectorate staff also. I have said that. Let him not forget that. He has commented only on the failures. Whatever thinking has been done in the Government has been brought to the notice of the House. That does not mean that is the only thing we have been doing. The necessary emphasis, we would like to make, is on the consumer movement in this country and that can be done by the people. That is why, I said you are also equally responsible for these things.

श्री मनी राम बागड़ी : पीपुल पर सारी जिम्मेदारी डाल दी है, क्या यह ठीक है

13.29 hrs.

ELECTIONS TO COMMITTEES

(i) Estimates Committee

MR. DEPUTY SPEAKER : Now, we take up the next items-Motions for Elections to Committees.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Sir, I beg to move :

> "That the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (1) of Rule 311 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, thirty members from among them-